

राजस्थान - सरकार
शिक्षा । गृह-शिक्षा विभाग

क्रमांक - एक - १३।५।शिक्षा-१०६

जयपुर दिनांक अक्टूबर, ८०

प्रधानाध्यापिका,
बाल-निकेतन, गांधी सेवा-सदन
राजसमन्ध : उदयपुर :

विषय :- मान्यता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्वित निर्देशानुसार लेख है यदि आप
अपनी माध्यम वाले विद्यालय में उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय
शैक्षिक प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद द्वारा स्वोचित पाठ्यक्रम प्रारम्भ
करना चाहती है तब उसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता
करना चाहती है तब राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है ।

भवदीय,

एस०डी०।

। ललि किशोर ।

विशेषाधिकारी, शिक्षा ।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक काक्षाधी एवं सूचनाई भूषित है :-

१- निर्देशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर

२- उप निर्देशक, उदयपुर

(M. S. M. S. M. S.)

मंत्री

एस० डी०।

गांधी सेवा सदन

विशेषाधिकारी, शिक्षा

राजसमन्ध (श.ज.)

PRINCIPAL
BALNIKETAN BR. SEC. EM. SCH
GANDHI SEVA SARAN
RAJASAMANDH (SAD) 313226

सत्य - प्रतिलिपि

Attended
11/10/80